न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 226/2022 (2022/720)

1. देवकरण पुत्र गोकल जाति जाट निवासी काली तलाई का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––प्रार्थी

बनाम

1. करतार पुत्र गोकल जाति जाट निवासी काली तलाई का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. सूरजकरण पुत्र गोकल जाति जाट निवासी काली तलाई का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
   समस्त जाति जाट निवासीगण काली तलाई का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––अप्रार्थीगण

[redacted]स्थितः–

1. श्री हेमराज कानावत–प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री हेमन्त जैन – अप्रार्थीगण 1 व 2 अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम काली तलाई का खेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	क्षेत्रफल/रकबा (है0)	किस्म
58–43	315	1.81	नहरी 1
	358	0.97	नहरी 2
	407	1.48	नहरी 2
	475	3.50	बारानी 2
	475/858	0.49	चाही 3 जाव 3
	476	0.01	आबादी
	477	0.13	गै.मु.पाल
	478	0.26	बारानी 2
	481	0.06	बारानी 2
	686	0.15	नहरी 1
	704	0.55	नहरी 1
	729	0.42	नहरी 1
	किता 12	रकबा 9.83 हैक्टर	
59–35	316	0.07	गै.मु.पाल
	333	0.54	नहरी 2
	किता 2	रकबा 0.61 हैक्टर	
57–42	681/915	0.05	बारानी 3
	किता 1	रकबा 0.05 हैक्टर	

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सह खातेदारी की आराजीयात है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बतौर रेकार्डेड सह खातेदार काश्तकार नाम अंकन हो रखा है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हक हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा निहित है एवं इसी हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात का अभी तक विधिवत बंटवारा नही हो रखा है जिससे कानूनी बंटवारा के अभाव में प्रार्थी को अपने 1/3 हिस्से की आराजी को भली भांति सुचारू रूप से काश्त करने में कई कठिनाईयां उत्पन्न होती है तथा संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि को काश्त करने में कई बार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है तथा प्रार्थी को राजस्व लगान अदा करने में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रार्थी ने दिनांक 01.06.2022 को अप्रार्थी से बटवारे का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने बंटवारा करने से इन्कार कर दिया जिससे प्रार्थी को वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। दिनांक 23.09.2022 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के 1/3 हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा एवं अवरोध करते हुए प्रार्थी की आराजी को जबरन ट्रेक्टर चलाकर हांकने पर आमादा हो गये तथा प्रार्थी को अपने हिस्से से वंचित एवं बैदखल करने की ऐलानियां धमकियां देने लगे जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने व जबरन बैदखल करने से नही रोका गया तो प्रार्थी को नापूर्तियुक्त व अनिश्चित मापदण्ड वाली क्षति होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी के 1/3 हिस्से में प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग व फसल काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने, प्रार्थी को जबरन बैदखल नही करने व काश्त की गयी फसल उपज काटकर नही ले जाने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 से 12 के नाम प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा डिलीट करवाये जाने से उनके नाम विलोपित किये गये।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थनापत्र का पेरा संख्या 1 में वर्णित कथन अस्वीकार है। पैरा संख्या 2 के कथन यहां तक स्वीकार है कि वादग्रस्त अराजीयात ग्राम काली तलाई का खेडा में स्थित है। पेरा संख्या 3 के कथन यहां तक स्वीकार है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है शेष कथन अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं साबित करें। आराजीयात का बंटवारा प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व 2 के मध्य 20 वर्ष पूर्व ही किया जा चुका है, प्रार्थी वृद्ध होने से तथा उससे अपनी आराजीयात की देख रेख नही होती है अतः 20 वर्षो से लगातार आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के ही कब्जे में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी में से कुल 10 बीघा आराजी प्रार्थी ने अपने हक में रखी थी तथा शेष सम्पूर्ण आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में रही। अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा आराजीयात के 10 बीघा हिस्से को छोडकर सम्पूर्ण आराजीयात अपने पास रखी तथा 10 बीघा आराजीयात जो कि प्रार्थी के हक की है में फसल काश्त कर उपज को ले जाकर उसका भुगतान सीधा प्रार्थी को किया है। अप्रार्थी 1 व 2 ने ही प्रार्थी की सम्पूर्ण सेवा इत्यादि की है तथा साथ ही प्रार्थी के इलाज वगैरह का सम्पूर्ण खर्चा भी अप्रार्थी 1 व 2 ने ही लगाया है। पैरा संख्या 4,5,6,8 के कथन कतई गलत व असत्य है अतः अस्वीकार है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा हक अधिकार नही है। आराजी खसरा नम्बर 686 मौके पर बाडे के रूप में है जिसमें 686 के सम्पूर्ण 1/3 हिस्से को देवकरण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 27.05.2016 को बेचान कर कब्जा सोपा जा चुका है किन्तु इन तथ्यों को छिपाकर वाद पेश किया है जो चलने योग्य नही है तथा खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 'अ' में वर्णित सम्पत्ति आराजीयात को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 करतार के पक्ष में रिलीज किया जा चुका है तथा वाद वर्णित आराजीयात एकमात्र अप्रार्थीगण के कब्जे में चली आ रही है, अतः इस कारण भी यह प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है तथा खारिज किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त जवाब

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पक्षकारान के बीच 20 वर्ष पूर्व ही पारिवारिक बंटवारा किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी ने कुल 10 बीघा आराजी अपने हक में रखी थी। प्रार्थी वृद्ध है तथा आराजी की देखभाल नही कर पाने के कारण सम्पूर्ण आराजी की देखभाल काश्त अप्रार्थीगण द्वारा ही की जा रही है तथा प्रार्थी के 10 बीघा हिस्से की आराजी का हक प्रार्थी को दिया जाता राहा है। पेरा संख्या 1 की सारणी 'अ' में वर्णित खाता संख्या 58–43 की आराजी का प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 करतार के पक्ष में रिलीज कर दिया है। रिलीज डीड की प्रति पत्रावली में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा मनगढंत जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थी ही अपने पूर्ण हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा कभी अप्रार्थी के पक्ष में आराजी को रिलीज नही किया है। पत्रावली में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिलीज डीड की प्रति रजिस्टर्ड नही है। अप्रार्थी जबरन प्रार्थी को आराजी से बैदखल करने पर आमादा है। अतः इन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी पाया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनो ही पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम काली तलाई का खेडा के खाता संख्या नया–पुराना 58–43 कुल किता 12, खाता संख्या नया–पुराना 59–35 कुल किता 2 एवं खाता संख्या नया–पुराना 57–42 कुल किता 1 पर एक दूसरे के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें तथा आराजीयात के रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनयों रखे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)